


भाग—V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकार द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	17	वन मंडल उत्तर बालाघाट के परिश्रेत्र पश्चिम बैहर के ग्राम फण्डकी के RF-1491 के रकबा 40.468 हेक्टेयर वनभूमि में बाक्साइड उत्खनन व विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मेसर्स धरमजी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड को वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा " वन्यप्राणी प्रबंधन योजना " जो मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश भोपाल से अनुमोदित हो के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 29.04.2021
स्थान: भोपाल


(संजय मोहरीस)
पदेन सचिव, वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन